बिहार सरकार,

खाद्य आपूर्त्ति एवं वाणिज्य विभाग ।

पत्रांक–5458/ आ० वा०, पटना-15, दिनांक 20 नवम्बर, 1991 ई० ।

प्रेषक,

श्री राम शंकर सिंह,

सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,

सभी जिला पदाधिकारी,

सभी विशिष्ट पदाधिकारी प्रभारी अनुभाजन,

सभी अनुमण्डल पदाधिकारी ।

विषयः—जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अनुकम्पा के आधार पर उचित मूल्य के दूकानदारों की नियुक्ति के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक विभागीय परिपत्रांक-579, दिनांक-31.1.91 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि फेयर प्राईस डीलर्स ऐसोशियसन द्वारा यह मांग की गई है कि उचित मूल्य के दूकानदार की मृत्यु के पश्चात् उनके आश्रितों को दुकान आवंटित किया जाय । सरकार ने इस मामले पर भली-भांति विचार कर यह निर्णय लिया है कि दुकान आवंटित करते समय दूकानदार के आश्रित को दुकान आवंटन में प्राथमिकता दी जाय ।

विश्वासभाजन,

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक 5458/आ० वा०, पटना-15, दिनांक 20 नवम्बर, 1991 ई० ।

प्रतिलिपि, संयोजक, फेयर प्राइस डीलर्स एसोसियेशन, पटना, को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव